हमीर बनाम कमला
2024 / 123
निर्णय दिनांकः–28.04.2026

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्याः–46 / 2023

दर्ज तिथिः–11.06.2024

1. हमीर पुत्र लतीफ
   जाति मुसलमान निवासी बुढे का तला,तहसील धोरीमना जिला बालोतरा

..................वादी

बनाम

1. कमला पत्नी थानाराम जाति मेघवाल
2. कादर पुत्र लतीफ जाति मुसलमान
3. रेखी देवी पत्नी लुम्भाराम जाति मेघवाल
4. रंभादेवी पत्नी देवाराम जाति ब्राह्मण
5. सकुर पुत्र लतीफ जाति मुसलमान
   निवासी बुढे का तला,तहसील धोरीमना जिला बालोतरा

.............असल.प्रतिवादीगण

6. प्रबन्धक,दी सैन्ट्रल कॉऑपरेटिव बैंक शाखा धोरीमना
7. शाखा प्रबन्धक,एसबीबीजे शाखा भूणिया
8. तहसीलदार धोरीमना

.............तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः–श्री गंगाराम विश्नोई
प्रतिवादीगणः–श्री ओमप्रकाश विश्नोई
राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–28.04.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 483 / 1 रकबा 6.296[illegible] तला ,पटवार हल्का भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा में अव[illegible] है[illegible]क्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे [illegible] खातेदारी की आराजी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:08 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1लगायत7 के सम्मन विधिवत तामिली के बावजूद अनुपस्थित न्यायालय होने पर उनके विरूद्व दिनांक 17.12.2024 को एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत की गई। पत्रावली में वादी अधिवक्ता द्वारा बिना वादी साक्ष्य सीधे बहस का निवेदन किया । तत्पश्चात प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादी की एक तरफा जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। तत्पश्चात प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.12.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2026/367 दिनांक 23.02.2026 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार प्रेषित मौका कुर्रेजात रिपोर्ट तथा प्रकरण में तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 21.02.2026 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु मौका निरीक्षण की दिनांक 21.02.2026 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:08 IST
Reason: SelfAttested

हमीर बनाम कमला
2024/123
निर्णय दिनांक:—28.04.2026

3. प्रकरण में उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने अंतिम बहस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व 5 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का पेश कर एकतरफा कार्यवाही व डिक्री मनसुख करने का पेश किया गया जिस पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को प्रेषित सम्मन दिनांक 14.06.2024 को उनके निवास स्थान पर प्राप्त हुए जिसके संबंध में डाक डिलीवरी ट्रैक रिपोर्ट शामिल पत्रावली है लिहाजा प्रतिवादीगण को जानकारी के बावजूद अनुपस्थित रहने तथा वाद को लम्बा करने की नियत से अंतिम बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व 13 सारहिन व आधारहीन होने से खारीज किया जाता है। प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादी एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 483/1 रकबा 6.2969 है0 वाके ग्राम बुढे का तला ,पटवार हल्का भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादी तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:08 IST
Reason: SelfAttested

किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षति:– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 483/1 रकबा 6.2969 है0 वाके ग्राम बुढे का तला ,पटवार हल्का भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते हैं।

क्र.सं.	खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	बरंग
1.	हमीर पुत्र लतीफ कौम मुसलमान सा.देह खातेदार	बुढे का तला	483/1 483/1	0.33 1.2442	0.10 0.37	बा.सो. बा.सो.	लाल
		योग	2	1.5742	0.47	बा.सो.	
2.	कमला पत्नी थानाराम 15/389 कादर पुत्र लतीफ 549/1556 रेखी देवी पत्नी लुम्बाराम 35/389 रम्भादेवी पत्नी रेवाराम 5093/29569 सकूर पुत्र लतीफ 2549/29564 जाति मुसलमान सा.देह खाते.	बूढे का तला	483/1	4.7227	1.42	बा.सो.	काला
		योग	[illegible]	4.7227	1.42	बा.सो.	

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से [illegible] वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी [illegible] पृथक खाता दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:08 IST
Reason: SelfAttested

कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना–बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:08 IST
Reason: SelfAttested

हमीर बनाम कमला
2024/123
निर्णय दिनांक:–28.04.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना–बालोतरा

(पीठासीन अधिकारी –भंवर लाल आर.ए.एस.)

वाद संख्या:–46/2023 — दर्ज तिथि:–11.06.2024

2. हमीर पुत्र लतीफ
जाति मुसलमान निवासी बुढे का तला,तहसील धोरीमना जिला बालोतरा

..................वादी

बनाम

9. कमला पत्नी थानाराम जाति मेघवाल
10. कादर पुत्र लतीफ जाति मुसलमान
11. रेखी देवी पत्नी लुम्भाराम जाति मेघवाल
12. रंभादेवी पत्नी देवाराम जाति ब्राह्मण
13. सकुर पुत्र लतीफ जाति मुसलमान
निवासी बुढे का तला,तहसील धोरीमना जिला बालोतरा

............असल.प्रतिवादीगण

14. प्रबन्धक,दी सैन्ट्रल कॉऑपरेटिव बैंक शाखा धोरीमना
15. शाखा प्रबन्धक,एसबीबीजे शाखा भूणिया
16. तहसीलदार धोरीमना ....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:–श्री गंगाराम विश्नोई
प्रतिवादीगण:–श्री ओमप्रकाश विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्री:–

दावा वादी अन्तर्गत धारा–53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 483/1 रकबा 6.2969 है0 वाके ग्राम बुढे का तला ,पटवार हल्का भलीसर तहसील धोरीमन्ना जिला बालोतरा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादी व प्रतिवादी के हिस्से अनुसार दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमना को दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:08 IST
Reason: SelfAttested

हमीर बनाम कमला
2024/123
निर्णय दिनांक:-28.04.2026

क्र.सं.	खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	लगान	किस्म	वरंग
1.	हमीर पुत्र लतीफ कौम मुसलमान सा.देह खातेदार	बुढे का तला	483/1 483/1	0.33 1.2442	0.10 0.37	बा.सो. बा.सो.	लाल
		योग	2	1.5742	0.47	बा.सो.	
2.	कमला पत्नी थानाराम 15/389 कादर पुत्र लतीफ 549/1556 रेखी देवी पत्नी लुम्बाराम 35/389 रम्भादेवी पत्नी रेवाराम 5093/29569 सकूर पुत्र लतीफ 2549/29564 जाति मुसलमान सा.देह खाते.	बूढे का तला	483/1	4.7227	1.42	बा.सो.	काला
		योग	1	4.7227	1.42	बा.सो.	

उक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेगें।
यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
धोरीमन्ना-बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwer Lal
Date: 2026.05.22 10:00:08 IST
Reason: SelfAttested